


बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

आदेश

संख्या:- V/उ0-2-01/2016.....११८...../श्री कृष्ण पासवान, उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, उपायुक्त उत्पाद, भागलपुर-सह-मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर को अगले आदेश तक विभागीय मुख्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. प्रतिनियुक्ति अवधि में वे अपने पदस्थापन कार्यालय से ही वेतनादि प्राप्त करेंगे तथा अपने कार्यालय के कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य विपत्रों की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी बने रहेंगे।


इसमें विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- V/उ0-2-01/2016 -.....११८.....

पटना, दिनांक:-.....२१.०५.१६

- प्रतिलिपि:- 1. माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह- निबंधन महानिरीक्षक के निजी सहायक/ विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्री कृष्ण पासवान, उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, उपायुक्त उत्पाद, भागलपुर-सह-मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी समाहर्ता/ सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/ सभी अधीक्षक उत्पाद/ सभी निरीक्षक उत्पाद/उत्पाद रसायन परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।